न्यायालय ब इजलास अम्बालाल मीना (आर. ए. एस) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास जिला कोटा (राज0)

मिसल नंबर 470 / 14

दायरा दिंनाक 16.10.2014

उनवान :–

1. सुरेश कुमार पुत्र छीतरलाल जाति तेली निवासी मकान नंबर 88 ए केशवपुरा द्वितीय चौराह कोटा तहसील लाडपुरा।
2. राजेन्द्र पुत्र छीतरलाल जाति तेली निवासी मकान नंबर 88 ए केशवपुरा द्वितीय चौराह कोटा तहसील लाडपुरा।
3. उमाशंकर पुत्र छीतरलाल जाति तेली निवासी मकान नंबर 88 ए केशवपुरा द्वितीय चौराह कोटा तहसील लाडपुरा।
4. विनोद कुमार पुत्र छीतरलाल जाति तेली निवासी मकान नंबर 88 ए केशवपुरा द्वितीय चौराह कोटा तहसील लाडपुरा।
5. कमलाबाई पत्नी छीतरलाल जाति तेली निवासी मकान नंबर 88 ए केशवपुरा द्वितीय चौराह कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

बनाम

1. गौरीशंकर पुत्र प्रभूलाल जाति तेली निवासी आरटीओ के पीछे छत्रपुरा तहसील लाडपुरा।
2. हजारीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति तेली निवासी आरटीओ के पीछे छत्रपुरा तहसील लाडपुरा।
3. सत्यनारायण पुत्र प्रभूलाल जाति तेली निवासी आरटीओ के पीछे छत्रपुरा तहसील लाडपुरा।
4. चम्पाबाई पत्नी प्रभूलाल जाति तेली निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा तेलियों के मंदिर के पास छावनी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. दी स्टेट ऑफ राजसीन जर्ये तहसीलदार तहसील कनवास जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

वाद घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी एक्ट 1955

निर्णय कोर्ट केम्प मामोर दिंनाक 07.07.2015

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सलोनिया पटवांर हल्का मामोर तहसील कनवास में निम्न कृषि भूमि की आराजी स्थित है –

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

क्र.संख्या	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर
1	210	2.32
2	245	1.56
3	253	0.11
4	254	1.46
5	391	1.26
6	402	1.37
7	475	0.03
कुल किता 7 की 8.11 हैक्टर कृषि भूमि		

यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की आराजी राजस्व रेकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2 है, जोकि वादीगण को उनके पिता स्व0 श्री छीतरलाल से विरासत में प्राप्त हुआ है। वादीगण अपने पिता स्व0 श्री छीतरलाल से प्राप्त अपने 1/2 हिस्से की कृषि भूमियों को मौके पर शांन्ति पूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है।

यह कि वादीगण क्रम 1 लगायत 4 के पिता स्व0 श्री छीतरलाल का स्वर्गवास दिंनाक 07.04.2001 को हुआ था। स्व0 श्री छीतरलाल के स्वर्गवास के उपरान्त विधि अनुरूप उनके विधिक उत्तराधिकारी होने से उनका नाम खाते में दर्ज होना था, उक्त कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना था। छीतरलाल के स्थान पर उनके वारिसान के नाम से नामान्तरण दिनांक 08.10.2001 प्रशासन गांव के संग अभियान सन 2001 में वादीगण से जानकारी लिए खोला गया, परन्तु उक्त नामान्तरण दर्ज किये जाते समय हल्का पटवारी महोदय द्वारा वादीक्रम 1 का नाम सहवन से सुरेश कुमार के स्थान पर सुरेन्द्र दर्ज कर दिया गया, जबकि स्व0 श्री छीतरलाल का सुरेन्द्र नाम का कोई पुत्र नंही हे, उनके पुत्र का नाम सुरेश कुमार है, जो कि वादी क्रम 1 है। वादी क्रम 1 को राजस्व रेकार्ड में सहवन से दर्ज किये गये नाम सुरेन्द्र के स्थान पर सुरेश दर्ज करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। वादी क्रम 1 का अन्य दतावेजों में भी सुरेश कुमार पुत्र छीतरलाल के नाम से ही जाती बिरादरी व रिश्तेदारी में जाना जाता है।

यह कि वादी क्रम 1 को उक्त त्रुटि का पता दिंनाक 26.05.2014 को हुआ, जब उसने हल्का पटवारी से खाते की नकल प्राप्त की तो पाया कि वादी क्रम 1 का नाम सुरेश के स्थान पर सुरेन्द्र दर्ज किया हुआ है। तथा वादीगण का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा भी दर्ज नंही किया गया है। वादी क्रम 1 ने पटवारी हल्का से नाम दुरस्त कर सुरेन्द्र के स्थान पर सुरेश करने तथा हिस्सा दर्ज करने की प्रार्थना की तो उन्होने कहा कि उक्त दुरूस्ती उपजिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय से ही होगी, इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह सम्मानीय न्यायालय मे घोषधा व इन्द्राज दुरस्त का वाद प्रस्तुत करे, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

वदी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम सलोनिया पटवार क्षेत्र मामोर तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 210 की 2.32 हैक्टर खसरा नंबर 245 की 1.56 हैक्टर खसरा नंबर 253 की 0.11 हेक्टर खसरा न बर 254 की 1. 46 हेक्टर , खसरा नंबर 391 की 1.26 हेक्टर खसरा नंबर 402 की 1.37 हेक्टर , खसरा नबर 475 की 0.03 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 7 की 8.11 हैक्टर कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

रेकार्ड में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, उक्त घोषणा के अनुक्रम में वादीक्रम 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में सुरेन्द्र के स्थान पर सुरेश दर्ज किया जावे तथा वादीगण का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायात 4 का हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण की तलवी की गयी। पत्रावली वादी के निवेदन करने पर राजस्व लोक अदालत शिविर मामोर में दिनाक 07.07.2015 को सुनवाई हेतु पेश की गयी। पत्रावली में वर्णित आराजी खसरा नबरों पर वादी के वाद अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 ने अपनी सहमती देकर राजीनामा प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा किये गये राजीनामा अनुसार एवं जवाब सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब में राजस्व रेकार्ड में वादी क्रम 1 सुरेन्द्र कुमार का सही नाम सुरेश कुमार दर्ज किया जाकर वादीगण का उपरोक्त वर्णित आराजी में हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायात 4 का हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की अभिशंषा की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड व राजीनामा एवं जवाब सरकार का गहनता से अवलोकन किया गया। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि वादी क्रम 1 का ग्राम सलोनिया पटवार क्षेत्र मामोर तहसील कनवास में स्थित आराजी खसरा नंबर 210 की 2.32 हैक्टर खसरा नंबर 245 की 1.56 हैक्टर खसरा नंबर 253 की 0.11 हेक्टर खसरा न बर 254 की 1.46 हेक्टर , खसरा नंबर 391 की 1.26 हेक्टर खसरा नंबर 402 की 1.37 हेक्टर , खसरा नबर 475 की 0.03 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 7 की 8.11 हैक्टर कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाना तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में वादीक्रम 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में सुरेन्द्र के स्थान पर सुरेश कुमार दर्ज किया जाना तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायात 4 का हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सलोनिया पटवार क्षेत्र मामोर तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 210 की 2.32 हैक्टर खसरा नंबर 245 की 1.56 हैक्टर खसरा नंबर 253 की 0.11 हेक्टर खसरा न बर 254 की 1.46 हेक्टर , खसरा नंबर 391 की 1.26 हेक्टर खसरा नंबर 402 की 1.37 हेक्टर , खसरा नबर 475 की 0.03 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 7 की 8.11 हैक्टर कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड में वादीगण सुरेश कुमार, राजेन्द्र, उमाशंकर, विनोदकुमार, पुत्र छीतरलाल, कमलाबाई पत्नी स्वं श्री छीतरलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में वादीक्रम 1 सुरेश कुमार का नाम राजस्व रेकार्ड में सुरेन्द्र के स्थान पर सुरेश कुमार दर्ज किया जावे तथा वादीगण का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायात 4 गौरीशंकर, हजारीलाल, सत्यनारायण, पुत्र प्रभूलाल, चम्पाबाई पत्नी स्व0 श्री प्रभूलाल का हिस्सा 1/2 दर्ज किया जावे। तदानुसार अतिंम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)

अन्तिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

ब इजलास **न्यायालय ब इजलास अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.) कोर्ट केम्प मामोर**

1. सुरेश कुमार पुत्र छीतरलाल जाति तेली निवासी मकान नंबर 88 ए केशवपुरा द्वितीय चौराह कोटा तहसील लाडपुरा।
2. राजेन्द्र पुत्र छीतरलाल जाति तेली निवासी मकान नंबर 88 ए केशवपुरा द्वितीय चौराह कोटा तहसील लाडपुरा।
3. उमाशंकर पुत्र छीतरलाल जाति तेली निवासी मकान नंबर 88 ए केशवपुरा द्वितीय चौराह कोटा तहसील लाडपुरा।
4. विनोद कुमार पुत्र छीतरलाल जाति तेली निवासी मकान नंबर 88 ए केशवपुरा द्वितीय चौराह कोटा तहसील लाडपुरा।
5. कमलाबाई पत्नी छीतरलाल जाति तेली निवासी मकान नंबर 88 ए केशवपुरा द्वितीय चौराह कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. गौरीशंकर पुत्र प्रभूलाल जाति तेली निवासी आरटीओ के पीछे छत्रपुरा तहसील लाडपुरा।
2. हजारीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति तेली निवासी आरटीओ के पीछे छत्रपुरा तहसील लाडपुरा।
3. सत्यनारायण पुत्र प्रभूलाल जाति तेली निवासी आरटीओ के पीछे छत्रपुरा तहसील लाडपुरा।
4. चम्पाबाई पत्नी प्रभूलाल जाति तेली निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा तेलियों के मंदिर के पास छावनी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. दी स्टेट ऑफ राजसीान जर्ये तहसीलदार तहसील कनवास जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

प्रतिवादीगण

वाद वास्ते खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं 470/14 सन **2014** तारीख फैसला **07.07.2015 न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** ब हाजरी **1 लगायत 5 स्वंय** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **ग्राम सलोनिया पटवार क्षेत्र मामोर तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 210 की 2.32 हैक्टर खसरा नंबर 245 की 1.56 हैक्टर खसरा नंबर 253 की 0.11 हेक्टर खसरा नंबर 254 की 1.46 हेक्टर , खसरा नंबर 391 की 1.26 हेक्टर, खसरा नंबर 402 की 1.37 हेक्टर , खसरा नबर 475 की 0.03 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 7 की 8.11 हैक्टर कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड में वादीगण सुरेश कुमार, राजेन्द्र, उमाशंकर, विनोदकुमार, पुत्र छीतरलाल, कमलाबाई पत्नी स्वं श्री छीतरलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में वादीकम 1 सुरेश कुमार का नाम राजस्व रेकार्ड में सुरेन्द्र के स्थान पर सुरेश कुमार दर्ज किया जावे तथा वादीगण का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायात 4 गौरीशंकर, हजारीलाल, सत्यनारायण, पुत्र प्रभूलाल, चम्पाबाई पत्नी स्व0 श्री प्रभूलाल का हिस्सा 1/2 दर्ज किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी**

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **07.07.2015** माह **जुलाइ 2015** को जारी की गई।

मोहर ....

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा '''' स्टाम्प वकालतनामा '''' स्टाम्प वजह सबूत '''' महनताना वकील '''' खर्चा गवाहान '''' फीस कमिश्नर '''' बाबत इजराय हुकमनामा '''' मुतफर्रिक ''''	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा '''' स्टाम्प अर्जी '''' महनताना वकील '''' खर्चा गवाहान '''' फीस कमिश्नर '''' बाबत इजराय हुकमनामा '''' मुतफर्रिक ''''	---------NIL---------	
मीजान ''''			मीजान ''''		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज०)